



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2017—कार्तिक 19, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

भाग 1]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5763

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. 2387-2843-2017-ई-चार.—मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का विघटन करती है.

(2) यह अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. 2389-2843-2017-ई-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2387-2843-2017-ई-चार, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 का

अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 10th October 2017

No. 2388-2843-2017-E-4.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 14 of the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board Act, 2000 (No. 6 of 2000) the State Government hereby dissolves the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board.

2. This notification shall come into force from date 6th October 2017.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ANIRUDDHE MUKERJEE, Principal Secy.